» न्यूज़-ब्रीफ

पी. एम. श्री राजकीय विद्यालय दांता में मानक क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया

दांतारामगढ़ (सीमा सन्देश सं)। दांता के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा के तत्वाधान में स्थानीय विद्यालय के मानक क्लब द्वारा मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका संचालन क्लब प्रभारी व्याख्याता श्रवण कुमार द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान फरीन लोहार एवं सानिया ने, द्वितीय स्थान पलक शर्मा एवं शमा बानो ने तृतीय स्थान प्रियंका खांडेकर एवं दीपिका ने और चतुर्थ स्थान पुखराज एवं प्रदीप जांगिड़ ने प्राप्त किया। विजेताओं को उपप्रधानाचार्य रामगोपाल वर्मा, पूरणमल जोरम व्याख्याता, अरविन्द कुमार, गंगा दयाल मीणा व्याख्याता, किशन सेवदा, दशरथ सिंह शेखावत द्वारा स्टडी टेबल, स्कूल बैग, टीपिन व पानी बोतल आदि पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

राजकीय भोमराज का उच्च माध्यमिक विद्यालय में CWSN मेडिकल असेसमेंट केंप का आयोजन

कुचामन सिटी (सीमा सन्देश सं)। राजकीय भोमराज का उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन में मंगलवार को CWSN मेडिकल असेसमेंट केंप आयोजित हुआ इस शिविर के दौरान 64 व्यक्तियों को बस पास,53 व्यक्तियों को मेडिकल सर्टिफिकेट तथा अंग उपकरण हेतु 37 लोगों को चिन्हित किया गया इस कार्यक्रम के दौरान नागौर कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद इमरान खान,जिला समन्वयक सुखदेव कौशिक,मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुचामन जगदीश राय, राय जवाहर प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू चौधरी,जवाहर उपप्रधानाचार्य भंवरलाल बुरड़क,भोमराजका प्रधानाचार्य मुकेश माथुर,भोमराजका उपप्रधानाचार्य श्रीमती मंजू निर्माण,सीबीईओ आरपी आनंदराम डोडवाडिया, संदर्भ व्यक्ति दयाराम,सुरजान एडीपीसी कार्यक्रम नागौर से संजू चोधरी, सन्दर्भ व्यक्ति उहराड समस्त ब्लॉक,डॉक्टर टीम,डॉ हेमाराम बुरड़क,डॉ नानूराम,डॉ मनोज मित्तल डॉ सुरेंद्र कुमार जिलॉपा उपस्थित रहे कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ ईश्वर बेड़ा व सुनील जोशी ने किया।

ग्रामीणों ने धोद एसडीम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन

लोसल (सीमा सन्देश सं)। नवसृजित धोद नगरपालिका में रामबक्सपुरा व ओला की ढाणी को सम्मिलित करने को लेकर ग्रामीणों ने धोद एसडीम कार्यालय पर मंगलवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए धोद एसडीम कार्यालय पहुँचे। जहाँ ग्रामीणों ने धोद एसडीम राहुल कुमार मल्होत्रा को धोद नगरपालिका में रामबक्सपुरा व ओला की ढाणी को सम्मिलित करने को लेकर एसडीम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर माकपा जिला सचिव किशन पारीक ने बताया कि धोद नगरपालिका की सीमा से रामबक्सपुरा व ओला की ढाणी सटे हुये है। इन गांवों को भी नगरपालिका में शामिल किया जाये। अगर सरकार व स्वायत शासन विभाग दारा सम्मिलित नही किया गया तो ग्रामीणों दारा उग्र आंदोलन किया जायेगा। विरोध प्रदर्शन में किशन पारीक माकपा जिला सचिव, विनोद पुजारी, सुल्तान खोखर पूर्व सरपंच, मुकेश खोखर, नागर मल कुड़ी, कौशल कुड़ी, महावीर कुड़ी, राम प्रकाश कुड़ी, ताराचंद कुड़ी, भगीरथ कुड़ी, पोखरमल कुड़ी, भवरलाल फौजी, जोधाराम मलिंडा, सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

युवाओं में नशे की बढ़ती लत को कम करने का प्रयास करने व अन्य मुद्दों को लेकर उपखण्ड प्रशासन ने ली बैठक

कुचामन सिटी (सीमा सन्देश सं)। उपखण्ड क्षेत्र कुचामनसिटी में संचालित निजी कोचिंग संस्थान / कोचिंग आवास / कोचिंग लाईब्रेरी / लाईब्रेरी / हॉस्टल / डिफेंस एकेडमी के संचालकों की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे उपखण्ड कार्यालय कुचामन सिटी में रखी गई ।कुचामन शहर के सभी कोचिंग संस्थान, डिफेंस, लाइब्रेरी,छात्रावास व अन्य शिक्षण संस्थानों के निदेशकों ने भाग लिया। जिसमे बैठक का मुख्य एजेंडा युवाओं में नशे की बढ़ती लत को कम करने का प्रयास करना।

कोचिंग संचालन से संबंधित विभिन्न मानकों (नियमों / विनियमों) का कठोरता से पालन करवाना।अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं मानकों की पालना करवाना सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई ।उक्त बैठक में निजी कोचिंग संस्थान / कोचिंग आवास/कोचिंग लाईब्रेरी/लाईब्रेरी / हॉस्टल / डिफेंस एकेडमी के काफी संचालक निर्धारित समय पर उपस्थित हुए । बैठक उपखण्ड अधिकारी कुचामन सुनील कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद ।बैठक में मुख्य रूप से

सुधार हेतु आवश्यक कार्य नशामुक्तिप शपथ-पत्र का प्रपत्र उपलब्ध करवाकर समस्त छात्रों को शपथ दिलाने हेतु निर्देश दिए ।विद्यार्थियों में नशे की लत तनाव में रहने के कारण पडती है, अतः तनाव कम करने हेतु प्रतिदिन योगा सेशन आयोजित किया जाए, सप्ताह में एक बार तनाव मुक्त वीडियो सेशन रखा जाए तथा समय-समय पर काउंसलिंग करवाई जाए। विद्यार्थियों को समय-समय पर अवगत करावें व संवेदनशील करें। पुलिस विभाग द्वारा इस पर विस्तृत जानकारी व दिशा निर्देश दिए गए। शहर में संचालित उक्त संस्थानों को निम्नानुसार मानकों की पालना हेतु भी निर्देशित किया गया जिसमें की संबंधित भवन नगर परिषद के नियमानुसार होना चाहिए। आवासीय भवन में कोई भी संस्थान संचालित नही होना चाहिए ।पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।उचित संख्या मे उपकरण लगे होने चाहिए तथा उनकी समय-समय रिफिलिंग भी करवानी चाहिए।

भवन में उचित संख्या में एक्जिट द्वारा होने चाहिए। बेसमेंट में कोई भी संचालित नहीं होना चाहिए ।भवन में एक माह की रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरें लगे होने चाहिए ।भवन तक अग्निशमन के वाहन की पहुंच के लिए कम से कम 3.5 मीटर रास्ता होना चाहिए ।फायर सेफ्टी के लिए आयुक्त नगर परिषद को पत्र लिखकर मॉक ड्रिल करवा सकते है।

वाहनों की नियमानुसार पालना होनी चाहिये

वाहनों का फिटनेस समय- समय पर नियमानुसार चेक करवाते रहना चाहिए ।पुलिस विभाग, विभाग तथा संचालन कर्ता वाहन चालकों का लाईसेंस जांच करना चाहिए ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुचामन सिटी ने इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी ।साथ ही बताया कि उक्त सभी संस्थानों में वर्तमान में फी वाई-फाई उपलब्ध करवाने की चलन है, अतः वाई-फाई की संचालकों द्वारा भी मोनिटरिंग की जानी है क्योंकि यदि कोई वाई-फाई इन्टरनेट का उपयोग करके गलत कृत्य करता है तो संबंधित इंटरनेट प्रोवाइडर भी जिम्मेदार है। संस्थान के स्टाफ का भी पुलिस वेरिफिकेशन तथा अन्य डाक्युमेंट लिया जाना आवश्यक है, यदि कोई आपराधिक प्रवृति का स्टाफ का सदस्य है तो इसके लिए संचालक भी जिम्मेदार है। पुलिस विभाग, सुरक्षा विभान संबंधित संचाल पुलिस विभाग, सुरक्षा विभान संबंधित संचालन निदेशों की सख्ती से पालना करेंगे अन्यथा नियमानुसार जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

कलकत्ता प्रवासी बी एल मित्तल ने अपनी जन्मस्थली पर करोड़ों रुपए खर्च किए

अर्जुन राम मुंडोतिया)

दांतारामगढ़ (सीमा सन्देश सं)। दांता निवासी कोलकाता प्रवासी बनवारी लाल मित्तल का जन्म 1 जुलाई 1968 को दांता, जिला सीकर (राजस्थान) में हुआ। पिता स्वर्गीय सांवरमलजी मित्तल व माता श्रीमती गौमती देवी ने गांव में उनका पालन-पोषण किया।

सन 1989 में गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी स्कूल से हायर सैकण्डरी स्कूल पास की। उच्च शिक्षा व रोजगार की तलाश में कोलकाता चले गए। 1992 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंसी की अपनी व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण की। सन 1992 से 2000 तक बिरला समूह में कराधान और ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम किया। सन 2000 में माइक्रोसेक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कंपनी शुरू की। सन 2013 में सस्ता सुंदर डॉट कॉम नाम से दूसरी कंपनी शुरू की। सालाना 550 करोड़ से अधिक टर्नओवर रखने वाली उनकी कंपनी 1500 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है ।इस्कॉन फूड फाउंडेशन के साथ जुड़कर एक कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

भामाशाह उद्योगपति बनवारीलालजी मित्तल एक परिचय

बीएल मित्तल सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और सीकर जिला कल्याण परिषद में ट्रस्टी हैं और परिषद की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इन्होंने विशिष्ट धर्मार्थ परियोजनाओं के लिए माइक्रोसेक फाउंडेशन की स्थापना की और ट्रस्ट ने सामाजिक आवश्यकता की बहुपरियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। बीएल मित्तल ने ग्राम दांता के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है। बीएल मित्तल ने डिजिटल मीडिया द्वारा ईजी लर्निंग का समर्थन करने के लिए ट्री कैंपस एकेडमी फाउंडेशन की स्थापना की। हाल ही में अंग्रेजी बोलने व सीखाने के लिए ऐप 'ट्री कैंपस' लॉन्च किया। यह ऐप छात्रों को आईएएस / आईपीएस / सीए/सीएस / मेडिकल / इंजीनियरिंग आदि जैसे उच्च अध्ययन करने के लिए जब उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उस समय यह मुफ्त ऐप उच्च अध्ययन के सभी छात्रों तक निःशुल्क सुविधा प्रदान करेगा।

उद्योगपति बनवारीलालजी मित्तल क्षेत्र में करवा रहे है विकास कार्य शिक्षा, सेहत व युवतियों को रोजगार देने के लिए खर्च किए दो करोड। मित्तल ने बताया कि मैंने बचपन में पढ़ाई के दौरान कई सारी समस्याएं व अभाव देखे थे। बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी। कुछ तो फीस भी नहीं चुका पाते थे। ये सब देखकर मन में यह भावना थी कि जब कभी मौका मिलेगा तो क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में आने वाली सुविधाओं पर भविष्य में काम करेंगे। इसी समर्पण भाव से वे क्षेत्र में पिछले पांच सालों से स्कूलों के विकास, लोगों की सेहत के लिए पार्क और महिलाओं व बालिकाओं को स्वरोजगारोन्मुखी बनाने व गांव की स्वच्छता के लिए प्रयासरत हूं। पांच साल में दो करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर चुका हूं। आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। साथ ही सीकर जिला कल्याण परिषद का ट्रस्टी हूं। धर्मार्थ परियोजनाओं के लिए माइक्रोसेक फाउंडेशन की स्थापना की। एक निःशुल्क अंग्रेजी सीखने के लिए एप, ट्री कैंपस भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और हायर एक्सपोजर दिया जा रहा है। दांता निवासी घीसालाल छीपा जनसेवा के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं।

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

परबतसर (सीमा सन्देश सं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के अध्यक्ष अरूण कुमार बेरीवाल व ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हनुमान सहाय जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 परबतसर के निदेर्शानुसार संविधान दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परबतसर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कल्याणी संस्थान गिंगोली के सचिव लालाराम मेघवाल ने भारतीय संविधान की उद्वेशिका का पठन करवाया गया तथा प्रस्तावना का महत्व समझाया गया।

पी.एल.वी. सराज खान ने बच्चों को संविधान में वर्णित कर्तव्यों अनुच्छेद 51 ए. के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान सहाय ने संविधान में आम नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा प्रधानाचार्य चित्रा भार्गव के द्वारा संविधान के संबंध में बच्चों से प्रश्नोत्तर करते हुए संविधान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारतीय संविधान का लेखन से लेकर लागू होने तक महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर उप प्रार्चाय रेखा चौधरी, मंजू राठौड़, सर्वेश्वर लखारा, मुकेश चौधरी, सुमन पूनिया, शकिला विश्नोई, महेश बंजारा, नारायणराम, उर्मिला चौधरी, सुमित्रा छीपा, अरूणा अडाणिया, स्नेहलता लढ़ा, कपिल, विकास, जयश्री, गजानन्द तथा समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

अधिवक्ता कमल द्विवेदी व पी.एल.वी. मोहित कामड़ ने गुरूकुल चिल्ड्रन एकेडमी लावटा रोड़ परबतसर में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को संविधान की उद्वेशिका का पठन करवाया तथा प्रस्तावना का महत्व समझाया तथा साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, एक्सेसिबिलिटी वेब प्रोग्राम, बाल विवाह, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर विजय सैनी, खुशी सैनी, लेखराज, सावित्री, प्रेरणा आदि उपस्थित रहे।

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन शाखा मौलासर के ब्लॉक अध्यक्ष बने राजकुमार रेवाड़

मौलासर (सीमा सन्देश सं)। मंत्रालयिक कर्मचारियों की बैठक का आयोजन मंगलवार को पंचायत समिति के सभागार में हुई, जिसमें पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ब्लॉक शाखा की नवीन कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए निर्वाचन (संगठन) अधिकारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी ओमप्रकाश भाटी के प्रस्ताव पर बैठक में सर्वसम्मति से पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर कनिष्ठ सहायक राजकुमार रेवाड़ को निर्विरोध चुना गया। वरिष्ठ सहायक रमनलाल फानन ने बताया कि राजकुमार रेवाड़ पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ब्लॉक मौलासर शाखा के तीसरे अध्यक्ष होंगे। वही उपाध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ सहायक हेमाराम व कोषाध्यक्ष पद वरिष्ठ सहायक रामनिवास को निर्विरोध चुना गया ।इस अवसर पर नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार रेवाड़ ने बताया कि पंचायती राज के तीनों स्तरो पर संगठन की मांगो पर पुरजोर तरीके से विचार किया जावेगा।

15 साल पुराने मामले में तीन को कारावास की सजा सुनाई

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। वरिष्ठ न्यायालय डेगाना के मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने आज मंगलवार को एक सम्पती विवाद के 15 साल पुराने मामले मे फेसला सुनाते हुये तीन लोगो चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार कूट रचित दस्तावेज तेयार कर छल कपट पूर्वक सम्पती हडपने के आरोप सिद्व होने पर मंगलवार को खुले न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बलोटिया ने भादसं की धारा 467,468,471 में दोष सिद्व होने पर उम्मेदराज 69, चांदमल 83, ओर महावीर चंद 60 साल निवासी थांवला हाल पाली को चार चार की सजा के साथ 3-3 हजार रूपयों क जुमार्ना की सजा सुनाई।

टैगोर शिक्षा समूह द्वारा 'संविधान दिवस' का आयोजन

कुचामनसिटी (सीमा सन्देश सं)। टैगोर शिक्षा समूह, कुचामन सिटी द्वारा 'संविधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चार वर्षीय बीए-बीएड, बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत श्री टैगोर इंटीग्रेटेड महाविद्यालय, डॉ. राधाकृष्णन इंटीग्रेटेड महाविद्यालय एवं विवेकानंद इंटीग्रेटेड महाविद्यालय, दो वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, श्री टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डॉ. राधाकृष्णन- शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम संयोजक व्याख्याता सागर के द्वारा संविधान दिवस पर संविधान निर्माण की प्रकिया का विस्तार पर विस्तार से वर्णन किया।

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत लाजवंती ने गाने के माध्यम से 'बाबा साहेब हम सभी से कह गये' तथा रिंकु ने नाटक की प्रस्तुती दी।

टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत दिनेश कुमार मेघवाल ने भाषण के माध्यम से, मनिषा ने नाटक के माध्यम से संविधान दिवस पर प्रस्तुती दी।

श्री टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत सरोज ने गाने के माध्यम 'मेरे भारत का संविधान', माणकचंद ने भाषण विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान पर वर्णन, देव श्री ने नाटक के माध्यम से प्रस्तुती दी। श्री टैगोर इंटीग्रेटेड महाविद्यालय से बी.ए.-बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत चंचल ने देशभक्ति गाने के माध्यम से, खुशी कविया ने अपने भाषण के माध्यम, आर्शिवाद चारण ने भाषण में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर, बी.एस.सी-बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत आदित्य राजबोहरा ने नाटके के माध्यम से संविधान के अधिकारों पर प्रस्तुती दी। बी.एस.सी-बी.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत नीता जागिड़ ने अपने भाषण के माध्यम से विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन किया। बी.ए.-बी.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रजनी बारियॉं ने संविधान का चार्ट प्रस्तुत किया, तथा पूजा गोस्वामी ने संविधान पर नाटक प्रस्तुत किया। करिश्मा एवं पूनम स्वामी ने नाटक के माध्यम से प्रस्तुती दी। डॉ. राधाकृष्णन इंटीग्रेटेड महाविद्यालय से बी.एस.सी-बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत सुमन गार्विडया ने अपने भाषण के माध्यम से संविधान की कहानी प्रस्तुती दी।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266, **शाखा कार्यालयः** तीसरी मंजिल, जीएस-ट्रेड सेंटर, 534-536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-302012

''परिशिष्ट IV-ए''

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) देखें]

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (54 का 2002) के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

जन सामान्य तथा विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणधारकों(ं) और जमानतदार(ं) यानी **श्री राजेश शाह, श्री मोहित शाह, श्री मुदित शाह, श्रीमती ममता शाह, श्री मुरली मनोहर शाह** को इनके मालिक के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मैसर्स **एम.आर.इंटरप्राइजेज,** जिसका ऋण खाता संख्या **ABFLJAILAP0000077989, ABFLJAILAP0000102685** में उल्लेखित अचल सम्पत्तियां जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, का भौतिक कब्जा आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को ऋणधारक/सह-ऋणधारक की 21.12.2023 के अनुसार बकाया रुपये 1,39,48,418/- (एक करोड़ उनतीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ अठारह रुपये मात्र) व उस पर आगामी ब्याज और अन्य खर्चों सहित भुगतान की तिथि तक देय वसूली के लिए 31.12.2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है क्या है' , और 'वहां जो भी है' को बिक्री के लिए रखा जाएगा।

आरक्षित मूल्य रुपये **2,02,37,363.46/- (दो करोड़ दो लाख सैंतीस हजार तीन सौ तिरेसठ छियालीस रुपये और छियालीस पैसे मात्र)**..संपत्ति के लिए अर्थात **'प्लॉट नंबर बी-126, (स्कीम एल.एस. नगर, नया खेड़ा, अंबाबाड़ी, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302039 में बी-126 और बी-126 ए के रूप में भी ज्ञात)** और बयाना राशि 20,23,737/- (रुपए बीस लाख तेईस हजार सात सौ सैंतीस मात्र) जमा करानी होगी।

अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

स्कीम एल.एस. नगर, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302039'' की सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-126 (बी-126 और बी-126 ए के रूप में भी ज्ञात) के सभी खंड एवं हिस्से। सीमाएं इस प्रकार : पूर्व पर : सड़क, पश्चिम पर : अन्य सम्पत्ति, उत्तर पर : प्लॉट नं. बी-125, दक्षिण पर : प्लॉट नं. बी-127

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए गए लिंक अर्थात www.adityabirlafinance.com और https://sarfaesi.auctiontiger.net को देखेंः

दिनांकः 27.11.2024
स्थानः जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

निवारण की मांग — सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को मंडियों से उठाने में विफल रही

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

कुचामन सिटी (सीमा सन्देश सं)। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा,व सीटू के कार्यकताओं द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन के मार्फत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा की हम मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों पर प्रकाश डालने और उनके निवारण की मांग को लेकर संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं। हम यह ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कर देश की इन दो प्रमुख उत्पादन शक्तियों के पक्ष में काम करेंगी। हमने 26 नवंबर को जन लामबंदी के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए इस लिये चुना है, क्योंकि यह वह दिन है 2020 में जब ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था।

किसानों के लंबे संघर्ष के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं।

हम नीचे बताई गई दयनीय स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं और इस पर आपका हस्तक्षेप चाहते हैं।

लगातार चली आ रही एनडीए की इस तीसरी सरकार की नीतियों से भारत के मेहनतकश लोगों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है, इनका उद्देश्य कॉरपोरेट और अति अमीरों को समृद्ध करना है। जबकि खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15% से अधिक बढ़ रही है, सरकार एमएसपी में केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है ।इसने सी2+50% फॉमूर्ले को लागू किए बिना और खरीद की कोई गारंटी दिए बिना 2024-25 में धान के एमएसपी को केवल 5.35% बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद हो जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को मंडियों से उठाने में विफल रही, जिससे इस साल मंडियों में जगह की कमी के कारण धान की खरीद ठप हो गई। किसान अपने आधे अधूरे एमएसपी, एपीएमसी मंडियों, एफसीआई और राशन प्रणाली आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद के लिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित डिजिटल कृषि मिशन-डीएएम के माध्यम से सरकार भूमि और फसलों का डिजिटलीकरण लागू कर रही है। संविदा खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) को बढ़ावा देने और खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसलों को उगने पर जोर दे फसल पद्धति को बदलने की योजनाएँ चल रही हैं, जो कॉर्पोरेट बाजार की आपूर्ति में सहायक हैं। 2017 में लगाया गया जीएसटी और 2019 में गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय राज्य सरकार की शक्तियों पर आक्रमण था तथा इसके द्वारा राज्यों के कर एकत्रित करने के अधिकारों को कम कर दिया।

कब्जा सूचना

एडेलवेइस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन-U67100MH2007PLC174759
खुदरा केन्द्रीय व पंजीकृत कार्यालय : एडेलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुम्बई-400098

चूंकि, यहां उल्लेखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा इसकी धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में नीचे उल्लेखित ऋणधारक(ों) को नीचे उल्लेखित राशि के भुगतान के लिए एक डिमांड नोटिस जारी कर यह नोटिस मिलने की तिथि से 60 दिन के भीतर बुलाया था।

चूंकि, यहां नीचे उल्लेखित समनुदेशक ने, वित्तीय आस्तियों को **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंप दिया, **जो यहां उल्लेखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में** (यहां इसे बाद में ''**ईएआरसी**'' कहा गया है)/स्वामी की क्षमता में कार्यरत है। सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 5 के अधीन किए अनुबंधों की पालना में ईएआरसी समनुदेशक का अनुसरण करते हुए और समनुदेशक के समस्त अधिकारों, स्वामित्व व हितों के साथ ही ऋणधारक के लिए **ईएआरसी** में निहित वित्तीय आस्तियों को आधारभूत प्रतिभूति हितों, जमानतों, बंधक तथा समस्त अधिकारों की ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में पालना करेगी।

ऋणधारक राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, ऋणधारक व जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 में उसे मिली शक्तियों शक्तियों की पालना करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के सामने अंकित व उल्लेखित तिथि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

क्र. सं.	समनुदेशक का नाम	संस्था का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋणधारक नाम व सह-ऋणधारक(ों) के नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	कब्जे की तिथि	कब्जे की स्थिति
1.	रेलिगेअर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	'ईएआरसी ट्रस्ट एससी- 421'	XMHDJMT 00067509	श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत (ऋणधारक) के साथ श्रीमती भंवरी देवी (सह-ऋणधारक)	23.05.2017 व रु. 12,58,558.18/-	22.11.2024	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः मां करणी विहार, कालवाड़ रोड पर प्लॉट नं. 84 (पूर्वी भाग) के फ्लैट के सभी खंड एवं हिस्से।

ऋणधारक(ों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाते हुए उन्हें उपलब्ध समय में सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विशेष रूप से ऋणधारक और आमजन को एतद्वारा आग्रह किया जाता है कि वे सम्पत्ति का सौदा न करें और सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज के लिए **एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : जयपुर
दिनांकः 27.11.2024

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
एडेलवेइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction